चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक व उनकी टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस मय चोरी की गयी सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.07.2025 को वादी श्री रमाशंकर साहू पुत्र दादूलाल निवासी भरतकूप मंदिर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 01.07.2025 को दुकान का सामान खरीदकर कानपुर से भरतकूप आया था । रात्रि हो जाने के कारण भरतकूप चौराहे के पास मीठे की दुकान के सामने अपना सामान लेकर बैठ गया था। नींद आ जाने के कारण समय करीब 02.30 बजे रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति सामान चोरी कर ले गया। इस सूचना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 02.07.2025 समय 06.00 बजे उ0नि0 श्री अभिषेक व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखविर की सूचना पर गुड्डू पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम विगगाय थाना विसण्डा जनपद चित्रकूट को टिटिहरा रोड भरतकूप से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्त की जामातलाशी से बैंग में रखे 17 अदद ताले मय चाभी, 90 पत्ता बिन्दी, 06 अदद मोबाइल खिलौना,12 अदद प्लास्टिक कीप, 09 अदद प्लास्टिक की एलईडी बाल खिलौने व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद। मुकदमा उपरोक्त में तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व सामान बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढ़तरी की गयी।

<u>बरामदगी-</u>

17 अदद ताले मय चाभी

90 पत्ता बिन्दी

06 अदद मोबाइल खिलौना

12 अदद प्लास्टिक कीप

09 अदद प्लास्टिक की एलईडी बाल खिलौने

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री गौरव तिवारी

2.आरक्षी एहसान

3.आरक्षी अखिलेश तोमर

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्ष कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 377/2025 धारा 333,64,351(3) बीएनएस के वांछित अभियुक्त केदारनाथ पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.अपराध निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी सुरेन्द्र सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार व उनकी टाम द्वारा 1.अभियुक्त लवकुश निषाद पुत्र कन्धई निषाद निवासी ग्राम नोनई खजुरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2.अभियुक्त आलोक कुमार निषाद पुत्र सुन्दरलाल निषाद निवासी ग्राम बेलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1. 02 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना मऊ
2.उ0नि0 श्री शहनवाज खाँ
3.आरक्षी नन्दलाल
4.आरक्षी राकेश कुमार

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वार आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवारो को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सपना पुत्री राजनारायण थाना पहाड़ी ने अपने ससुरालीजनों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति राजेन्द्र,ससुर बाबूराम,सास रमरतिया व देवर संजय,संदीप द्वारा दहेज के कारण मारपीट,गाली गलौज कर घर से बाहर निकाल देना व दुसरी आवेदिका श्रीमती नेहा पत्नी श्री अरुण कुमार थाना राजापुर ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति अरुण कुमार द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देना। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी मंजूलता पाल व पुलिस काउन्सलर डॉ0 श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी मंजूलता पाल
3. पुलिस काउन्सलर डॉ0 श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल

(7). माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट चित्रकूट के आदेश दिनांक 26.03.2025 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को एनडीपीएस एक्ट के अभियोगो से सम्बन्धित मालों को प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी श्री वीर प्रताप सिंह, हेड मोहर्रर रियान राइन की उपस्थिति में इंसीनरेटर मरजादपुर कर्वी के माध्यमसे कुल 07 मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के मालों को समिति के समक्ष नष्ट कराया गया।

(8). श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन,प्रयागराज के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल यूपी 112 चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में डायल 112 प्रभारी निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्य,मुख्य आरक्षी विनय कुमार,आरक्षी रविकान्त द्वारा वाहनों के नियमित अनुरक्षण एवं पीआरवी के सुचारू संचालन, पीआरवी कर्मियों द्वारा कॉलर एवं प्रतिपक्षी से संवाद कौशल व संवेदनशीलता के साथ सद्व्यहार किये जाने तथा नियमानुसार ए0टी0आर0 लगाने,फीडबैक को सकारात्मक रखने,एस0ओ0पी0 के अनुसार पी0टी0जेड0 तथा बी0डब्ल्यू0सी0 कैमरा का प्रयोग करने साथ ही साथ स्थानीय थाना पुलिस कर्मियों द्वारा इवेन्ट क्लोज करने के सम्बन्ध में कुल 60 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।